कार्यालय कलेक्टर (रोजगार) जिला- झाबुआ(म.प्र.)

क्र/जिरोका/झा/रो.मे./2022/ 54 झाबुआ,दिनांक 16 /03/ 2022

// आदेश //

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गए निर्देश के पालन में "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के निर्माण अंन्तर्गत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय एवं एनआरएलएम द्वारा संयुक्त रूप से निम्नानुसार निर्धारित तिथि में कौशल एवं रोजगार मेले आयोजित किया जाना है-

क्र	दिनांक	समय	आयोजन स्थल	विकासखण्ड का नाम जहाँ के प्रतिभागी सम्मिलित होना है।	प्रतिभागियों को रोजगार मेले में लाने हेतु जनपदवार आवंटित लक्ष्य
1	29.03.2022	प्रात:11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक	आजीविका भवन झाबुआ	झाबुआ,रानापुर,रामा,मेघनगर एवं थान्दला	500 प्रतिभागी प्रति जनपद पंचायत
2	30.03.2022		जनपद पंचायत पेटलावद	पेटलावद	1000 प्रतिभागी

उक्त कौशल एवं रोजगार मेले के सफल क्रियान्वयन हेतु कॉलम नं.02 में नामांकित अधिकारियों को उनके सम्मुख कॉलम नं.03 में अंकित दायित्व सौंपे जाते हैं।

क्र.	अधिकारी/विभाग का नाम	दायित्व
1	2	3
1	समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला-झाबुआ	➢ कौशल एवं रोजगार मेला के सफल आयोजन हेतु विभागवार सौंपे गये दायित्व से सम्बन्धित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर प्रचार-प्रसार कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करते हुए यथा-आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) जिला-झाबुआ	➢ कौशल एवं रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद क्षेत्रान्तर्गत अपने अधीनस्थ अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना,ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादि कराना तथा आवंटित लक्ष्य अनुरूप साक्षात्कार/चयन हेतु बेरोजगार प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला-झाबुआ	➢ जिले में स्थित स्थानीय उद्योगों तथा आस-पास के अन्य जिलों/प्रदेशों के उद्योगपतियों एवं नियोजक कंपनियों से सम्पर्क कर रिक्तियों का आंकलन करना। ➢ रोजगार मेले में नियोक्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को बेरोजगार युवाओं के चयन हेतु आमंत्रित करना। ➢ प्रबंधक/सहायक प्रबंधक,को प्रतिभागी बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग हेतु नियुक्त करना।
4	प्राचार्य,शासकीय अग्रणी स्नातकोतर महाविद्यालय-झाबुआ	➢ जिले में संचालित समस्त महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को रोजगार मेले में सम्मिलित कराने हेतु नोडल के अधीन महाविद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देश जारी करेंगे।
5	जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला- झाबुआ	➢ कौशल एवं रोजगार मेला आयोजन प्रभारी अधिकारी रहेंगे। ➢ अधीनस्थ अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना तथा जनपदवार आवंटित लक्ष्य अनुसार बेरोजगार प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ➢ कौशल एवं रोजगार मेले में उपस्थित आवेदकों के पंजीयन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना। ➢ आयोजन स्थल पर आवश्यकतानुसार पेयजल/टेन्ट एवं बैठक व्यवस्था करना।
6	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग,झाबुआ	➢ विकासखण्ड स्तरीय अधिनस्थ अमले के माध्यम से कौशल एवं रोजगार मेले का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना तथा साक्षात्कार/चयन हेतु बेरोजगार प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद(समस्त) जिला-झाबुआ।	➢ नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत लाउड-स्पीकर/कचरा कलेक्शन वाहनों के माध्यम से रोजगार मेले का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना।

क्र.	अधिकारी/विभाग का नाम	दायित्व
1	2	3
8	जिला रोजगार अधिकारी	➢ कौशल एवं रोजगार मेले के आयोजन हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेगें। ➢ नियोक्ता कंपनियों से संपर्क कर आमंत्रित करना,सहमति प्राप्त करना,रिक्त पद सम्बन्धी जानकारी संकलित करना।
9	प्रबन्धक,आरसेटी जिला-झाबुआ	➢ आरसेटी प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार मेले में उपस्थिति हेतु मोबिलाईजेशन/प्रचार-प्रसार करना।
10	जिला समन्वयक म.प्र.जन अभियान परिषद जिला झाबुआ	➢ विकासखण्ड स्तरीय अधीनस्थ अमले/ वॉलिन्टीयर्स को रोजगार मेले का प्रचार-प्रसार करने के लिये निर्देशित करेंगे।
11	जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र जिला-झाबुआ	➢ विकासखण्ड स्तरीय अधीनस्थ अमले/वॉलिन्टीयर्स को कौशल एवं रोजगार मेले का प्रचार-प्रसार करने के लिये निर्देशित करेंगे।
12	जिला समन्वयक सेडमेप जिला-झाबुआ	➢ उद्यमिता विकास केन्द्र से प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार मेले में उपस्थिति हेतु मोबिलाईजेशन/प्रचार-प्रसार करना।
13	प्रबन्धक,प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र थान्दला	➢ कौशल केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त /पंजीकृत समस्त युवाओं को रोजगार मेले में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से मोबिलाईजेशन/प्रचार-प्रसार करना।

कलेक्टर
जिला-झाबुआ

पृ.क्र./जिरोका/झा/रो.मे./2022/ 55 /झाबुआ,दिनांक 16 /03/2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त,रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश,भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-झाबुआ।
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जिला-झाबुआ
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला-झाबुआ।
5. महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला-झाबुआ।
6. सहायक संचालक,जनसम्पर्क कार्यालय जिला-झाबुआ।
7. मुख्य कार्यपान अधिकारी,जनपद पंचायत(समस्त) जिला-झाबुआ।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका/नगर परिषद(समस्त) जिला-झाबुआ।
9. उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन विभाग की ओर प्रचार-प्रसार बाबत।
10. प्राचार्य,शासकीय अग्रणी स्नातकोतर महाविद्यालय-झाबुआ।
11. जिला परियोजना प्रबंधक,म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला-झाबुआ।
12. जिला समन्वयक,म.प्र.जन अभियान परिषद,जिला-झाबुआ।
13. जिला समन्वयक,नेहरू युवा केन्द्र,जिला-झाबुआ।
14. प्रबन्धक,आरसेटी जिला-झाबुआ।
15. जिला समन्वयक सेडमेप जिला-झाबुआ।
16. प्रबन्धक,प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र थान्दला।

कलेक्टर
जिला-झाबुआ